J 5751/2022

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP[illegible]
Certificate Issued Date	:	04-Jul-2022 04:53 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14133304/ BARABANKI/ UP-BNK
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14[illegible]U
Purchased by	:	J P V N S S KOTWA SADAK TR CHANDRASHEKHAR VERMA
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	GATA NO 76 SITUATED AT VILL KOTWA SADAK PARGANA-SURYAPUR TEHSIL RAMSANEHIGHAT DISTT BARABANKI
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	J P V N S S KOTWA SADAK TR CHANDRASHEKHAR VERMA
Second Party	:	J P V N S S KOTWA SADAK TR CHANDRASHEKHAR VERMA
Stamp Duty Paid By	:	J P V N S S KOTWA SADAK TR CHANDRASHEKHAR VERMA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	14,400 (Fourteen Thousand Four Hundred only)

0000712845

Statutory Alert:
[illegible]

[illegible]

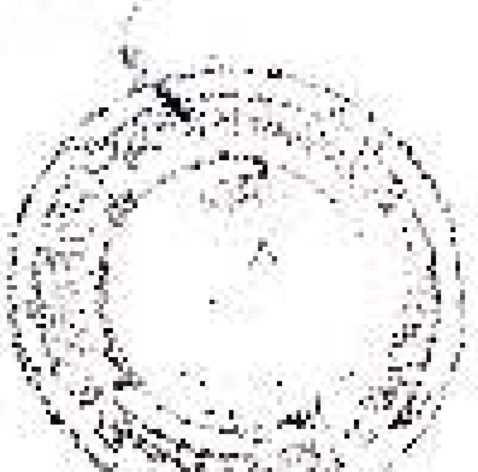

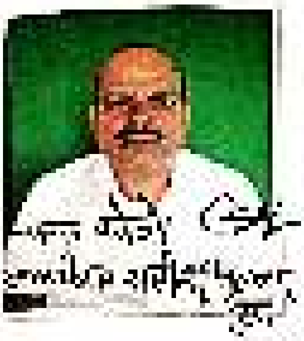

लीज डीड

किराया/—	1 वर्ष की [illegible] का 6 गुना [illegible] 14400
30 वर्ष	: 720000
सम्पत्ति	: [illegible] जिला [illegible]
परगना —	: सूर्यपुर
तहसील —	: [illegible]
जिला—	: [illegible]
गाँव	[illegible]
सम्पत्ति का विवरण	: [illegible] 2580 [illegible] होता है।
चौहद्दी	: पूरब— [illegible] पश्चिम— [illegible] आदि उत्तर— [illegible] दक्षिण— [illegible] संस्थान
प्रथम पक्ष (लीज डीड दाता)—	[illegible]
द्वितीय पक्ष (लीज डीड ग्रहीता)	[illegible]

2

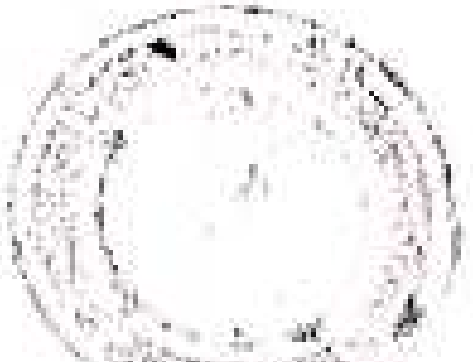

सम्पूर्ण विवरण

जो कि प्रथम पक्ष एक किता आराजी वाकै मौजा कोटवासडक परगना–सूर्यपुर तहसील–रामसनेहीघाट जिला बाराबंकी का मालिक काबिज है जो तमाम बारों से पाक व साफ है। जिसे मुकिर को हर तरह से मुन्तकिल करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। जो कि उपरोक्त आराजी मे रकबा 2330 वर्गमीटर का लीज–डीड प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य आज दिनांक–04/07/2022 ई से 03/07/2052 ई० तक के लिए तकमील की जा रही है जिसके अवधि 30 वर्ष के लिए मान्य होगी।

1. यह कि उक्त सम्पत्ति का वार्षिक किराया मु0–120000 रू0 तय है जिसको द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को समयानुसार देता रहेगा।
2. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा ट्रस्ट के सभी सदस्यों को बुलाकर यह बताया गया है कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि व भवन लीज डीड पर लेने के लिए तैयार है आपसी सहमति के आधार पर सभी सदस्यों की अनुमति से लीज निष्पादित की जा रही है। उपरोक्त लीज के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य जो शर्तें हुई हैं उनको लिपिबद्ध किया जा रहा है। ताकि सनद रहे व समय पर काम आवे।
3. यह कि दोनो पक्ष संपत्ति हस्तानान्तरण एक्ट 1882 एंव संशोधन (Transfer of Property Act 1882 & Amendment) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 एंव सभी संशोधन अथवा जो भी कानून/नियम राज्य व भारत सरकार द्वारा समय–समय पर लागू किये जायेंगे उनमें लीज डीड हेतु निहित सभी प्रावधानों का पालन करेंगे।

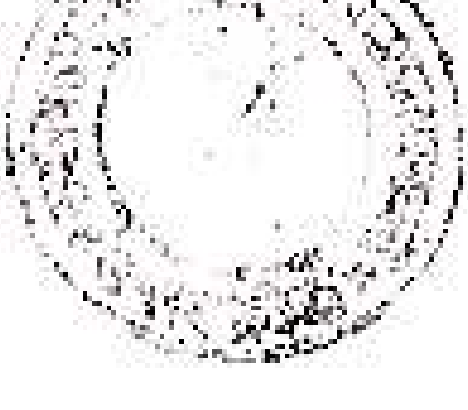

4. यह कि भारत के किसी न्यायालय में एतदोक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई वैधिक कार्यवाही लंबित नहीं है जो कि उक्त भूमि को लीज पर देने अथवा लेने में बाधक हो।
5. यह कि यह लीज डीड दिनांक 04/07/2022 दिन सोमवार से 30 वर्षों हेतु मान्य है। 30 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त लीज स्वतः समाप्त हो जायेगी। जिसका नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा। अथवा दोनों पक्ष आपसी सहमति के आधार पर लीज को आगे की अवधि के लिए पुनः स्थापित कर सकते हैं।
6. यह कि उक्त भूमि पर लीज की तिथि से पूर्व एवं लीज के दिनांक तक किसी सरकारी, गैर सरकारी संस्था आदि वित्तीय देनदारियां शेष नहीं है यह भूमि सभी प्रकार के भार व बाधा से मुक्त दी जा रही है।
7. यह कि द्वितीय पक्ष लीज होल्डर को इस भूमि को किसी अन्य पक्ष को लीज पर देने का कोई अधिकार नहीं होगा।
8. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि पर समुचित भवन का निर्माण कराकर शैक्षणिक संस्थान छात्रावास अस्पताल आदि सभी सम्बन्धित संस्थाओं से मान्यता/अनुमोदन/सम्बद्धता/ निरीक्षण /लाइसेंस प्राप्त कर संचालन कर सकेगा।
9. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर शैक्षणिक संस्थान छात्रावास, अस्पताल के संचालन के क्रम में भवन निर्माण एवं शैक्षणिक संस्थान संचालन हेतु सभी विधिक कार्यवाहियों हेतु स्वतंत्र होगा।
10. यह कि लीज द्वितीय पक्ष की तिथि से एवं उसके बाद लीज की अवधि में उक्त भूमि से सम्बन्धित सभी विधिक टैक्स/शुल्क जमा करने हेतु उत्तरदायी एवं बाध्य होगा।

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

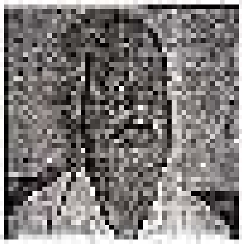

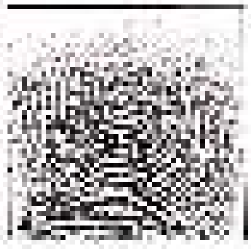

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

यह कि प्रथम पक्ष की आवश्यकता यदि द्वितीय पक्ष को किसी भी विधिक कार्य सरकारी एवं स्थानीय के सम्बन्ध में प्रपत्र प्रस्तुत करने की पड़ती है तो प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के साथ उपस्थित होकर सम्पूर्ण सहयोग करेगा। एवं उपरोक्त कार्यवाही को पूर्ण करायेगा।।

इस वास्ते प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के पक्ष यह दान डीड अपनी राजी खुशी व स्वस्थ होश हवास में व खूब सोच समझकर व पढ़कर सुनकर सही तहरीर कर दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। विदित हो कि दिनांक- 04/07/2022 ई0 को प्रथम पक्ष ने गाँव-[illegible] परगना-सूरजपुर तहसील-रामसनेहीघाट जिला-बाराबंकी खसरा नम्बर 78 रकबा 0.341 हे0 में से 0.233 हे0 अर्थात 2330 वर्गमीटर जो 25070.8 वर्गफिट है। जो उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत गैर-कृषि प्रयोजन की भूमि घोषित कर दी है। पक्षकारों के इच्छानुसार लेखक द्वारा पक्षकारों की मांग प्रपत्र [illegible] के अनुसार [illegible] प्रस्तुतकर्ता ने की है। उक्त प्रदेश के कम्प्यूटर प्रणाली लागू होने के कारण पक्षकारों के इच्छानुसार लेखक द्वारा प्रारूप तैयार कर कम्प्यूटर द्वारा टाईप कर तैयार किया गया है।

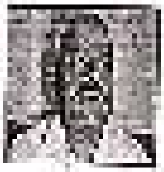

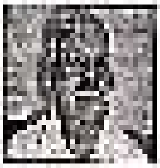

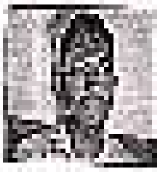

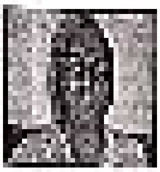

[illegible] जो प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष व गवाहान के पहचान के रूप में आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न है।

तारीख तहरीर 04/07/2022 ई0

लेखक अरविन्द कुमार श्रीवास्तव लेखक तहसील-रामसनेहीघाट जिला-बाराबंकी

गवाह: [illegible]

संदीप कुमार पुत्र नौमीलाल यादव निवासी ग्राम-पूरे शुक्लान मजरे-उधौली परगना सूरजपुर तहसील-रामसनेहीघाट जिला-बाराबंकी (आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 5628)

गवाह: [illegible]

हरिश्चन्द्र पुत्र फूलचन्द्र निवासी ग्राम-लालपुरवा मजरे माधोपुर थंथौली परगना सूरजपुर तहसील-रामसनेहीघाट जिला-बाराबंकी (आधार कार्ड सं0-XXXX XXXX 7008)

[illegible] : 2022[illegible] /180453

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3917 के पृष्ठ 97 से 108 तक क्रमांक 2751 पर दिनांक [illegible]/07/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दीपिका शुक्ला
उप निबंधक : रामसनेहीघाट
बाराबंकी
[illegible]/07/2022

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible]

7. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]